

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1161]
No. 1161]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 3, 2005/कार्तिक 12, 1927
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 3, 2005/KARTIKA 12, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2005

(आय-कर)

का.आ. 1558(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ग की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर-नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौबीसवां संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में:—

(क) नियम 20में,—

(i) शीर्ष में, “धारा 88ग की उपधारा (2)” शब्दों के पहले “धारा 80ग की उपधारा

(2) के खंड (xix) के अधीन या” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित

किए जाएंगे ;

(ii) आरंभिक भाग में, “धारा 88की उपधारा (2)” शब्दों के पहले “धारा 80ग की उपधारा (2) के खंड (xix) कि अधीन या” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपनियम (1) के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण,— इस नियम के प्रयोजन के लिए ‘उपयुक्त पूंजी पुरोधरण’ से धारा 80ग की उपधारा (2) के खंड (xix) के स्पष्टीकरण के खंड (i) या धारा 88की उपधारा (2) में खंड (xvi) के स्पष्टीकरण के खंड (i) में निर्दिष्ट कोई पुरोधरण अभिप्रेत है ।”

(ख) नियम 20क में,—

(i) शीर्ष में “धारा 88ग की उपधारा (2)” शब्दों के पहले “ धारा 80ग की उपधारा (2) के खंड (xix) कि अधीन या” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) “धारा 88 की उपधारा (2)” के पहले, “धारा 80ग की उपधारा (2)के खंड (xx) या ” शब्द, कोष्ठक, अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) उपनियम (4) के खंड (i) में, “एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व” शब्दों के पश्चात्, “धारा 80ग की उपधारा (2) के खंड (xix) के स्पष्टीकरण का खंड (i) में या” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(ग) परिशिष्ट II में,—

(i) प्ररूप 59 में,—

(अ) शीर्ष में “आय-कर अधिनियम की” शब्दों के पश्चात्, “धारा 80ग(2)(xix) के अधीन या” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) मद संख्या 7 के स्थान पर निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएंगी :-

“क्या वर्तमान पूंजी/ डिबेंचर पुरोधरण आय-कर अधिनियम की धारा

80इक की उपधारा (4) के खंड (i) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित 'अवसंरचनात्मक सुविधा' परिभाषा के अनुरूप है ? यदि हां, तो ब्यौरा दें।

(ii) प्ररूप 59क में,—

- (अ) शीर्ष में “ आय-कर अधिनियम की” शब्दों के पश्चात्, “धारा 80ग (2)(xx) के अधीन या” शब्द, अंक, अक्षर, और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
- (आ) मद संख्या 9 में, “धारा 88(2) (xvii)” के पहले “धारा 88(2)(xx) या” शब्द, अंक, अक्षर, और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

[अधिसूचना सं. 221/2005/फा. सं. 142/39/2005—टीपीएल]

प्रज्ञा एस. सक्सेना, निदेशक

टिप्पणी :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3(ii), तारीख 26 मार्च, 1962 में का.आ. 969(अ) के अधीन प्रकाशित किए गए थे जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया और अन्तिम बार संशोधन आयकर (बाइसवां संशोधन) अधिनियम, 2005, अधिसूचना का.आ. 1247(अ) तारीख 8 सितम्बर, 2005 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2005

(INCOME-TAX)

S.O. 1558(E).—In exercise of the powers conferred by Section 295 read with Sub-section (2) of Section 80C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (24th Amendment) Rules, 2005.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962, -
 - (a) in rule 20, -
 - (i) in the heading, after the words, “Guidelines for approval”, the words, brackets, figures and letter “ under clause (xix) of sub-section (2) of section 80C or” shall be inserted;
 - (ii) in the opening portion, after the words, “approval to a public company”, the words, brackets, figures and letter “ under clause (xix) of sub-section (2) of section 80C or” shall be inserted;
 - (iii) in sub-rule (1), for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:-

'Explanation.- For the purposes of this rule, "the eligible issue of capital" means an issue referred to in clause (i) of the Explanation to clause (xix) in sub-section (2) of section 80C or in clause (i) of the Explanation to clause (xvi) in sub-section (2) of section 88.'

(b) in rule 20A, -

- (i) in the heading, after the words, "Guidelines for approval", the words, brackets, figures and letter "under clause (xx) of sub-section (2) of section 80C or" shall be inserted;
- (ii) in sub-rule (1), after the words, "For the purpose of ", the words, brackets, figures and letter " clause (xx) of sub-section (2) of section 80C or" shall be inserted;
- (iii) in sub-rule (4), in clause (i), after the words, ' in the "eligible issue of capital of any company" referred to in', the words, brackets, figures and letter "clause (i) of Explanation to clause (xix) of sub-section (2) of section 80C or in " shall be inserted.

(c) in Appendix II,-

(i) In Form No. 59,-

- (A) in the heading, after the words "public companies under section", the figures, letter, brackets and words "80C (2)(xix) or under section" shall be inserted;
- (B) for item 7, the following item shall be substituted, namely:-

"whether the present equity/debenture issue conform to the definition of 'infrastructure facility' as defined in the Explanation to clause (i) of sub-section (4) of section 80-IA of the Income-tax Act? If so, give details".

(ii) In Form No.59A,-

- (A) in the heading, after the words "public companies under section", the figures, letter, brackets and words "80C (2)(xx) or under section" shall be inserted;
- (B) in item 9, after the words "launched for the purpose of section", the figures, letter, brackets and words "80C (2)(xx) or section" shall be inserted.

[Notification No. 221/2005/F. No. 142/39/2005-TPL]

PRAGYA S. SAKSENA, Director

Note :—The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3(ii), dated the 26th March, 1962 vide S.O. 969(E) which was amended from time to time and last amended by Income-tax (22nd Amendment) Rules, 2005 vide Notification S.O. No. 1247(E) dated 8-9-2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2005

(आय-कर)

का.आ. 1559(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ग की उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 के अधीन स्थापित लोक भविष्य निधि को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए निर्धारण वर्ष 2006-07 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[अधिसूचना सं. 222/2005/फा. सं. 142/39/2005-टीपीएल]

प्रज्ञा एस. सक्सेना, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2005

(INCOME-TAX)

S.O. 1559(E).—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 80C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the Public Provident Fund, established under the Public Provident Fund Scheme, 1968, for the purposes of the said clause for the assessment year 2006-07 and subsequent assessment years.

[Notification No. 222/2005/F. No. 142/39/2005-TPL]

PRAGYA S. SAKSENA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2005

(आय-कर)

का.आ. 1560(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ग की उपधारा (2) के खंड (ix) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) के अधीन जारी राष्ट्रीय बचत पत्र (8वां निर्गम) बचत पत्रों को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए निर्धारण वर्ष 2006-07 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[अधिसूचना सं. 223/2005/फा. सं. 142/39/2005-टीपीएल]

प्रज्ञा एस. सक्सेना, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2005

(INCOME-TAX)

S.O. 1560(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ix) of sub-section (2) of section 80C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the National Savings Certificates (VIII Issue) issued under the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959) as savings certificates for the purposes of the said clause for the assessment year 2006-07 and subsequent assessment years.

[Notification No. 223/2005/F. No. 142/39/2005-TPL]

PRAGYA S. SAKSENA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2005

(आय-कर)

का.आ. 1561(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ग की उपधारा (2) के खंड (xi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जीवन बीमा निगम पारस्परिक निधि की यूनिट-संबंध बीमा योजना (पूर्व में धन रक्षा-1989 के रूप में ज्ञात) को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए निर्धारण वर्ष 2006-07 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[अधिसूचना सं. 224/2005/फा. सं. 142/39/2005-टीपीएल]

प्रज्ञा एस. सक्सेना, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2005

(INCOME-TAX)

S.O. 1561(E).—In exercise of the powers conferred by clause (xi) of sub-section (2) of section 80C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the Unit Linked Insurance Plan (formerly known as Dhanraksha-1989) of the Life Insurance Corporation Mutual Fund for the purposes of the said clause for the assessment year 2006-07 and subsequent assessment years.

[Notification No. 224/2005/F. No. 142/39/2005-TPL]

PRAGYA S. SAKSENA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2005

(आय-कर)

का.आ. 1562(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ग की उपधारा (2) के खंड (xii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम की नयी जीवन धारा, नयी जीवन धारा - I और नयी जीवन अक्षय, नयी जीवन अक्षय-I तथा नयी जीवन अक्षय- II योजनाओं को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण सहित उस

निगम द्वारा जैसी फाइल की गई है, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए निर्धारण वर्ष 2006-07 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की वार्षिकी योजना के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[अधिसूचना सं. 225/2005/फा. सं. 142/39/2005-टीपीएल]

प्रज्ञा एस. सक्सेना, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2005

(INCOME-TAX)

S.O. 1562(E).—In exercise of the powers conferred by clause (xii) of sub-section (2) of section 80C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the New Jeevan Dhara, New Jeevan Dhara-I and New Jeevan Akshay, New Jeevan Akshay-I and New Jeevan Akshay-II Plans of the Life Insurance Corporation of India, as filed by that Corporation with the Insurance Regulatory and Development Authority, as the annuity plan of the Life Insurance Corporation of India for the purposes of the said clause for the assessment year 2006-07 and subsequent assessment years.

[Notification No. 225/2005/F. No. 142/39/2005-TPL]

PRAGYA S. SAKSENA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2005

साधारण शेयर बचत स्कीम, 2005

का.आ. 1563(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80C द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-** (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण शेयर बचत स्कीम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :-** इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) “निर्धारिती” से अभिप्रेत है,—

(i) ऐसा व्यक्ति, या

(ii) ऐसा हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, या

(iii) ऐसे व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, जिसमें दोनों दशाओं में, केवल पति, पत्नी हैं, जो गोवा राज्य तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त संपत्ति की सामदायिक पद्धति से शासित होते हैं।

जिसके द्वारा, या जिसकी ओर से विनिधान किया जाता है।

- (ग) “विनिधान” से इस स्कीम के अनुसार बनाई गई योजना के अधीन किसी निर्धारिती द्वारा यूनिट ट्रस्ट या किसी पारस्परिक निधि के यूनिटों में किया गया विनिधान अभिप्रेत है ;
- (घ) “पारस्परिक निधि” से इस स्कीम के अनुसार बनाई गई कोई योजना अभिप्रेत है ;
- (ङ) “योजना ” से इस स्कीम के अनुसार बनाई गई कोई योजना अभिप्रेत है ;
- (च) “ यूनिट ट्रस्ट” से भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 (2002 का 58) की धारा 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रशासक या खंड (ज) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कंपनी अभिप्रेत है ;
- (छ) “ वर्ष” से अप्रैल के प्रथम दिन को आरंभ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है ;
- (ज) एसे शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो आयकर अधिनियम में हैं ।

3. **विनिधान और पुनःविक्रय** (क) यूनिट ट्रस्ट या किसी पारस्परिक निधि को किसी योजना में विनिधान की जाने वाली रकम, 500 रु. गुणजों में और कम से कम 500 रु0 होगी ।

(ख) यूनिट ट्रस्ट में या पारस्परिक निधि उस ट्रस्ट या निधि द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में किये गए सभी पूर्ण आवेदनों की बाबत प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक, यूनिटों का आबंटन करेगी ।

(ग) योजना, वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान कम से कम एक मास की अवधि के लिए तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के दौरान कम से कम तीन माह की अवधि के लिए खुली रहेगी ।

(घ) योजना में विनिधान की यूनिटों के आबंटन की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए रखना होगा । निर्धारिती को, तीन वर्ष की उक्त अवधि के पश्चात् यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि को पुनः क्रय के लिये यूनिट निविदत्त करने का विकल्प होगा ।

(ङ) निर्धारिती की मृत्यु की दशा में, यथास्थिति, नामनिर्देशिती या विधिक वारिस, निर्धारिती को यूनिटों के आबंटन की तारीख से एक वर्ष पूरा हो जाने के पश्चात् ही, या तत्पश्चात् किसी भी समय, विनिधान का प्रत्याहरण कर सकेगा ।

4. **अंतरणीयता:** किसी योजना के अधीन जारी किए गए यूनिट उसके जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष पश्चात् अन्तरित समनुदिष्ट या गिरवी रखे जाएंगे ।

5. **साधारण शेयर बचत निधियों का विनिधान:** (क) योजना के अधीन संग्रहीत की गई निधियों का विनिधान साधारण शेयरों, संचयी संपरिर्तनीय डिबंचरों और बंधपत्रों में किया जाएगा ।

डिबेंचरों और बन्धपत्रों के, जिनमें अधिकार, के आधार पर प्रतिश्रुत डिबेंचर और बंधपत्र सम्मिलित हैं। भागतः संपरिवर्तनीय निर्गमों में भी विनिधान इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा कि यथासंभव, इस प्रकार अर्जित या प्रतिश्रुत डिबेंचरों के संपरिवर्तनीय भाग का बारह मास की अवधि के भीतर अपविनिधान किया जाए।

(ख) यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना की निधियों का खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में कम विक्रय अस्सी प्रतिशत तक विनिधान हो। यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधि, अपनी निधियों के प्रत्येक योजना के बंद होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर उपरोक्त रीति से विनिधान करने का प्रयास करेगा। असाधारण परिस्थितियों में, यूनिट ट्रस्ट या निधि द्वारा इस अपेक्षा का त्याग किया जा सकेगा ताकि निर्धारित हितों की संरक्षा हो सके।

(ग) अपेक्षित रीति से किसी योजना की निधियों का विनिधान होने तक, यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधि ऐसी निधियों का विनिधान अल्पकालिक मुद्रा बाजार प्रपत्रों में या अन्य नकद प्रपत्रों में या दोनों में कर सकेगी। यूनिटों का आबंटन की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात् यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि, योजना की शुद्ध आस्तियों के बीस प्रतिशत तक की अल्पकालिक मुद्रा बाजार प्रपत्रों और अन्य तरह प्रपत्रों में इस उद्देश्य से धारित कर सकेगी कि उन यूनिट धारकों के विनिधान का मोचन किया जा सके जो उन्हें पुनः क्रय के लिए यूनिटें निविदत्त करे।

6. **पुनःक्रय कीमत:** (क) यूनिट ट्रस्ट और अन्य पारस्परिक निधियां, यूनिटों के आबंटन की तारीख के एक वर्ष पश्चात् और उसके अर्द्धवार्षिक आधार पर पुनःक्रय कीमत की घोषणा करेगी।

(ख) यूनिटों के आबंटन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् जब से यूनिटों का पुनः क्रय प्रारंभ होना है, ट्रस्ट और पारस्परिक निधि, प्रत्येक मास या उतनी बार जैसा उनके द्वारा विनिश्चित किया जाए, पुनः क्रय कीमत की घोषणा करेगी।

(ग) पुनः क्रय कीमत की संगणना करने में, यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधियां, योजना के निधियों के विनिधान के मूल्य में अप्राप्त मूल्य वृद्धि को उस सीमा तक हिसाब में लेगी जो वह उचित समझें, परंतु यह तब जबकि वह ऐसी अप्राप्त मूल्य वृद्धि के पचास प्रतिशत से कम न हो। पुनः क्रय मूल्य की संगणना करते समय, यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधियां ऐसी राशियों की कटौती कर सकेंगी जो प्रबंध, विक्रय और अन्य व्ययों को जिनके अंतर्गत आस्तियों का ज्ञापन भी है, पूरा करने के लिए उपयुक्त हों तथा ऐसी राशियां योजना के औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होंगी।

(घ) यूनिटों का पुनः क्रय यूनिटों को पुनः क्रय के के लिए निविदत्त करने की तारीख को विद्यमान पुनः क्रय कीमत पर किया जाएगा ।

7. **विनिधान या पुनः क्रय का साक्ष्य:** निर्धारिती द्वारा किसी योजना में किए गए विनिधान की पावती यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधियों द्वारा विनिधान प्रमाणपत्र या लेखा विवरण जारी करके, जैसा उनके द्वारा विनिश्चय किया जाए, देनी होगी ।

8. **योजना की समाप्ति:** (क) यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि द्वारा संचालित योजना उस वर्ष से जिरामें उस योजना के अधीन यूनिटों का आबंटन किया जाता है, दस वर्ष की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी ।

(ख) यदि किसी योजना के अधीन नब्बे प्रतिशत या उससे अधिक यूनिटों का दस वर्ष पूरा होने के पूर्व पुनः क्रय किया जाता है तो यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधियां, अपने विवेकानुसार, उस योजना की दस वर्ष की निगत अवधि के पूर्व भी समाप्त कर सकेंगी और परादेय यूनिटों का मोचन अपने द्वारा नियत अंतिम पुनः क्रय कीमत पर कर सकेंगी ।

[अधिसूचना सं. 226/2005/फा. सं. 142/39/2005-टी.पी.एल]

प्रज्ञा एस. सक्सेना, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2005

EQUITY LINKED SAVINGS SCHEME, 2005

S.O. 1563(E).—In exercise of the powers conferred by clause (xiii) of sub-section (2) of section 80C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following scheme, namely:—

1. **Short title and commencement :-**(1) This scheme may be called the Equity Linked Savings Scheme, 2005.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. **Definitions :-**In this scheme, unless the context otherwise requires :-
 - (a) "Act" means the Income-tax Act (43 of 1961)
 - (b) "assessee" means:-
 - (i) an individual; or
 - (ii) a Hindu undivided family; or
 - (iii) an association of persons or a body of individuals consisting, in either case, only of husband and wife governed by the system of community of property in force in the State of Goa and Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu by whom, or on whose behalf, investment is made;

- (c) "investment" means an investment in Units of the Unit Trust or a Mutual Fund by an assessee under a plan formulated in accordance with this scheme;
- (d) "Mutual Fund" means any Mutual Fund specified under Clause (23-D) of section 10 of the Act;
- (e) "plan" means any plan formulated in accordance with this scheme;
- (f) "Unit Trust" means the 'Administrator' referred to in clause (a) or the 'specified company' referred to in clause (h) of section 2 of the Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002 (58 of 2002);
- (g) "year" means a year commencing on 1st day of April;
- (h) words and expressions used herein and not defined shall have the meanings respectively, assigned to them in the Income-tax Act.
3. Investment and Repurchase :- (a) Amount to be invested in a plan of the Unit Trust or of a Mutual Fund shall be in multiples of Rs. 500 with a minimum of Rs. 500.
- (b) The Unit Trust or a Mutual Fund shall allot the Units in respect of all complete applications, made in the form specified by that Trust or Fund, not later than on 31st March, every year.
- (c) The plan shall be open for a minimum period of one month during the financial year 2005-06 and a minimum period of three months during the subsequent years.
- (d) Investment in the plan will have to be kept for a minimum period of three years from the date of allotment of units. After the said period of three years, the assessee shall have the option to tender the units to the Unit Trust or the Mutual Fund, for repurchase.
- (e) In the event of the death of the assessee, the nominee or legal heir, as the case may be, shall be able to withdraw the investment only after the completion of one year from the date of allotment of the units to the assessee or anytime thereafter.
4. Transferability :- Units issued under the plan can be transferred, assigned or pledged after three years of its issue.
5. Investment of Equity Linked Saving Funds:- (a) The funds collected under a plan shall be invested in equities, cumulative convertible preference shares and fully convertible debentures and bonds of companies. Investment may also be made in partly convertible issues of debentures and bonds including those issued on rights basis subject to the condition that, as far as possible, the non-convertible portion of the debentures so acquired or subscribed, shall be disinvested within a period of twelve months.
- (b) It shall be ensured that funds of a plan shall remain invested to the extent of at least eighty per cent. in securities specified in clause (a). The Unit Trust and Mutual Fund shall strive to invest their funds in the manner stated above within a period of six months from the date of closure of the plan in every year. In exceptional circumstances, this requirement may be dispensed with by the Unit Trust or the Fund, in order that the interests of the assessee are protected.
- (c) Pending investment of funds of a plan in the required manner, the Unit Trust and Mutual Fund may invest the funds in short-term money market instruments or other liquid instruments or both. After three years of the

date of allotment of the units, the Unit Trust or Mutual Fund may hold upto twenty per cent of net assets of the plan in short-term money market instruments and other liquid instruments to enable them to redeem investment of those unit holders who would seek to tender the units for repurchase.

6. Repurchase Price : (a) The Unit Trust and other Mutual Funds shall announce the repurchase price one year after the date of allotment of the units and thereafter on a half-yearly basis.
- (b) After a period of three years from the date of allotment of units, when the repurchase of units is to commence, the Trust and the Mutual Fund shall announce a repurchase price every month or as frequently as may be decided by them.
- (c) In calculating the repurchase price, the Unit Trust and the Mutual Fund shall take into account the unrealised appreciation in the value of the investment of the funds of a plan to the extent they deem fit provided that it shall not be less than fifty per cent of such unrealised appreciation. While calculating the repurchase price, the Unit Trust and Mutual Funds may deduct such sums as are appropriate to meet management, selling and other expenses including realisation of assets and such sums shall not exceed five per cent per annum of the average Net Asset Value of a plan.
- (d) Repurchase of Units will be at the repurchase price prevailing on the date the units are tendered for repurchase.
7. Evidence of Investment or Repurchase : The investment made in any plan by an assessee will be acknowledged by the Unit Trust and Mutual Fund by issue of certificate of investment or a statement of account as may be decided by them.
8. Termination of a Plan : (a) A plan operated by Unit Trust or a Mutual Fund would be terminated at the close of the 10th year from the year in which the allotment of units is made under the plan.
- (b) If ninety per cent or more of the units under any plan are repurchased before completion of ten years, the Unit Trust and Mutual Fund may at their discretion, terminate that plan even before the stipulated period of ten years; and redeem the outstanding units at the final repurchase price to be fixed by them.

[Notification No. 226/2005/F. No. 142/39/2005-TPL]

PRAGYA S. SAKSENA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2005

(आय-कर)

का.आ. 1564(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ग की उप-धारा (2) के खण्ड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 (2002 का 58) की धारा 2 के खण्ड (ज) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कम्पनी द्वारा स्थापित यू.टी.आई. सेवानिवृत्ति प्रसुविधा पेंशन निधि को, उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए निर्धारण वर्ष 2006-2007 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए पेंशन निधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :—

[अधिसूचना सं. 227/2005/फा. सं. 142/39/2005-टीपीएल]

प्रज्ञा एस. सक्सेना, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2005

(INCOME-TAX)

S.O. 1564(E).—In exercise of the powers conferred by clause (xiv) of sub-section (2) of section 80C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the UTI-Retirement Benefit Pension Fund set up by the specified company referred to in clause (h) of section (2) of the Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002 (58 of 2002) as a pension fund for the purposes of the said clause for the assessment year 2006-07 and subsequent assessment years.

[Notification No. 227/2005/F. No. 142/39/2005-TPL]

PRAGYA S. SAKSENA, Director

3206 G/2005-4